फैक्स/प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र- 63 /2015 दिनॉकः लखनऊः सितम्बर 12 2015

सेवा में,

1-पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी, उ0प्र0 ।
3-पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, उ0प्र0 ।
4-पुलिस महानिदेशक, भ्र0नि0सं0, उ0प्र0
5-पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, उ0प्र0।
6-पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 ।
7- पुलिस महानिदेशक, ई0ओ0डब्ल्यू0, उ0प्र0 ।
8-अपर पुलिस महानिदेशक, एस0आई0टी0, उ0प्र0 ।
9-अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उ0प्र0 ।
10-अपर पुलिस महानिदेशक, दूर संचार, उ0प्र0 ।
11-अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 ।
12-अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, उ0प्र0 ।
13-अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जॉच, उ0प्र0 ।
14-अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/एसटीएफ/एटीएस, उ0प्र0 ।
15-अपर पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ उ0प्र0 ।
16-अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
17-अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ0प्र0 ।
18-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।

प्रायः देखने में यह आ रहा है कि कतिपय इकाईयों/शाखाओं द्वारा विभिन्न नीतिगत मामलों से संबंधित प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के माध्यम से न भेजकर सीधे प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं, जो विभागीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है । इकाईयों द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सीधे शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर शासन द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से प्रस्तावों पर कतिपय पृच्छायें की जाती हैं, जिनका मुख्यालय स्तर से उत्तर प्रेषित किए जाने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ होती हैं तथा असहज स्थिति उत्पन्न होती है।

अतः आप सभी अपने अधीनस्थ समस्त विभागों/शाखाओं/इकाईयों द्वारा किसी भी योजना, संसाधन, कार्मिक या वित्तीय प्रकरणों आदि से संबंधित जो भी प्रस्ताव हों उन्हें तैयार कराकर सम्पूर्ण सूचनाओं/सुसंगत अभिलेखों सहित मुख्यालय पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि मुख्यालय स्तर से परीक्षणोंपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का अनुमोदन प्राप्त कर शासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किए जा सके ।

12/9/15

(जग मोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि :- प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन को उपरोक्त संबंध में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।